



## प्रेस नोट

### सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 28.07.2024

- महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी सफलता।
- थाना रसूलाबाद पुलिस की कार्यवाही से दुष्कर्म की घटना में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त के विरूद्ध थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 305/2024 धारा 64/333/351(3) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत है।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 26.07.2024 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 0305/2024 धारा 64/333/351(3) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट बनाम 01 नफर अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 27.06.2024 को समय करीब 18.20 बजे वांछित अभियुक्त 1. सतीश यादव पुत्र हरिमोहन निवासी ग्राम रायपुर मौजा सुनासी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष को शहबाजपुर नहरपुल के पास थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. सतीश यादव पुत्र हरिमोहन निवासी ग्राम रायपुर मौजा सुनासी, थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 संख्या 0305/2024 धारा 64/333/351(3) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कृपाल सिंह थाना रसूलाबाद कानपुर देहात।
2. का0 191 केशव थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
3. का0 288 सूर्यसेन थाना रसूलाबाद कानपुर देहात।